Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग का प्रशासनिक अधिकारी 25 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *06 अक्टूबर,* गुरूवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर एस.यू. इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग को परिवादी से **25 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर एस.यू. इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि निकट स्थान पर पदस्थान देने की एवज में प्रेमचंद सांखला संयुक्त निदेशक एवं विक्रम गहलोत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने दलाल अनिल कुमार भाटी प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग के माध्यम से **50 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी की जोधपुर एस.यू. इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये अनिल कुमार भाटी पुत्र श्री आनन्द प्रकाश भाटी निवासी सी–183, सरस्वती नगर, जिला जोधपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग को परिवादी से **25 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में प्रेमचंद सांखला संयुक्त निदेशक एवं विक्रम गहलोत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका की जाँच की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास, अन्य ठिकानों की तलाशी एवं पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।